राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु –494–तीन/04 जिला –छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.10.2015	आवेदक की ओर से श्री जगदीश श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक की ओर से श्री आर0 डी0 शर्मा उपस्थित । अनावेदक –2 शासन के पैनल अधिवक्ता उपस्थित । उभय पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2077–दो/2002 आदेश दिनांक 1.5.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 494–तीन/2004 के तथ्यों पर उभय पक्ष के अधिवक्ता के तर्क सुने गये । आवेदक की ओर से पुनरावलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 2077–दो/2002 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 1.5.2003 से किया जा चुका है ।	

रिव्यु –494–तीन / 2004

म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात / साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था , सम्यक तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी ।

2–अभिलेख से प्रकट कोई भूल / गलती ।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों ।

सदस्य

न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प. क्र. रिव्यू/ /3/2004 — रिव्यू - 494-III/2004

शिवमोहन सिंह पुत्र रामकुमार सिंह निवासी कटहरा तहसील लोड़ी जिला छतरपुर
.... प्रार्थी

बनाम

1–रविशंकर पुत्र गजाधर पाण्डेय निवासी कटहरा तहसील लोड़ी जिला छतरपुर

2– म. प्र. शासन .... प्रतिप्रार्थी

म. प्र. भूरास्व संहिता की धारा 51 के अंतर्गत माननीय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर के सदस्य माननीय रामसिंह जी द्वारा प्रकरण कं. निगरानी/[illegible]77–2/2002 में पारित आदेश दिनांक 1.5.2003 के निर्णय के विरूद्ध रिव्यू।

श्रीमान जी,

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिव्यू आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, ग्राम कटहरा तहसील लोड़ी जिला छतरपुर में स्थित सर्वे कं. 72, 172, 130, 13, 27, 36, 32, 33, 918 कुल किता 9 रकवा 4.523 हे. [illegible]मनारायण पुत्र सुनुवाद पाण्डेय निवासी कटहरा के भूमि स्वामी पर दर्ज थी। उक्त भूमि में से वर्ष 1980 में रामनारायण ने अपने जीवनकाल में सर्वे कं. 33 के [illegible] 0.190 हे. पर रामजानकी मंदिर बनवाया और शेष भूमि उक्त मंदिर के नाम (भगवान राम जानकी) के नाम से दान कर दी और उसी आधार पर उक्त भूमि पर आदेश दिनांक 19.10.1984 से भगवान रामजानकी के नाम का दाखला खारिज हो गया और उक्त मंदिर की भूमि पर प्रबंधक के रूप में कलेक्टर का नाम दर्ज कर पटवारी कागजात में उक्त भूमि मंदिर के नाम से अंकित कर दी गई । उक्त भूमि मंदिर के नाम से अंकित होने के कारण तहसीलदार लोड़ी द्वारा उक्त भूमि की नीलामी बावत् कार्यवाही प्रारंभ की और प्रकरण में इश्तहार जारी किया । इश्तहार जारी होने पर प्रतिप्रार्थी ने तहसीलदार लोड़ की न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति प्रस्तुत की कि मैं रामनारायण का भतीजा हूँ और उन्होंने मेरे हक मे वसीयतनामा निष्पादित कर उक्त भूमि मुझे प्रदान की है । तहसीलदार लोड़ी द्वारा प्रतिप्रार्थी की आपत्ति निरस्त करते हुए नीलामी की कार्यवाही प्रारंभ की उक्त आदेश से दुखी होकर प्रतिप्रार्थी ने अपर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की । माननीय अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा दिनांक 13.6.2000 को अनावेदक की उक्त निगरानी निरस्त कर दी इसके विरूद्ध प्रतिप्रार्थी ने अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की उक्त निगरानी में आदेश दिनांक 9.7.2000 को आदेश पारित करते हुए माननीय अपर आयुक्त महोदय संभाग ने यह मानते हुए कि प्रतिप्रार्थी जो वसीयत प्रस्तुत की गई है वह फर्जी है और उक्त भूमि पटवारी रिकार्ड में रामजानकी नाम से भूमि स्वामी स्वत्व अंकित है उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिप्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की है इसलिए उक्त भूमि मंदिर की व्यवस्था के लिए